न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 39/2011 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2011/00022

1. मनोहर सिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी चक 6 डी.एल खारबारा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. मेघाराम पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी चक 6 डी.एल तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मूलसिंह जाति राजपूत निवासी आसपालसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री धीरेन्द्रसिंह भदौरिया राजकीय अभिभाषक — अभिभाषक अपीलांट
अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3

निर्णय

दिनांक 01.10.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 04.05.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त कृषि भूमि चक 6 डी.एल के मुरब्बा नंबर 150/10 के किला नंबर 1 ता 20 कुल तादादी 20 बीघा भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। उक्त वादगत भूमि अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से दिनांक 14.02.2011 को क्रय की। उक्त रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर इंतकाल संख्या 131 दिनांक 06.04.2011 को दर्ज हो गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत भूमि दिनांक 10.06.1986 को आवंटित हुई। उक्त वादगत भूमि रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज थी। उक्त वादगत भूमि सहवन से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो जाने के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ उक्त के आदेश दिनांक 04.05.2011 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि चक 6 डी.एल के मुरब्बा नंबर 150/10 के किला नंबर 1 ता 20 कुल तादादी 20 बीघा भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है, अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 14.02.2011 को खरीद की थी। उक्त बैयनामें के आधार पर इंतकाल संख्या 131 से अपीलांट के नाम दर्ज हुआ और जमाबंदी में इस बाबत अंकन किया गया। मौके पर कब्जा भी अपीलांट का ही है। मगर फिर भी जैर अपील आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 देवेन्द्रसिंह को भूमिहीन के तौर पर वादगत भूमि पुख्ता आवंटित हुई थी। जिसका कब्जा प्राप्त कर काश्त करना शुरू कर दिया था तथा तमाम किश्त राशि जमा कराके उक्त भूमि की खातेदारी सनद भी प्राप्त कर ली थी। मगर फिर भी जैर अपील आदेश द्वारा दुरस्ती का आदेश देकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय स्वंय द्वारा दिनांक 10.02.2011 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में खातेदारी सनद जारी की जाती है, और जैर अपील आदेश द्वारा उक्त आवंटन का अंकन लिपिकिय भूल मानकर अन्य के नाम दर्ज करने का आदेश दे दिया जो अपने आप में विरोधाभाषी है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 एलआर एक्ट की गलत व्याख्या की है डबल आवंटन के मामले में धारा 136 एलआर एक्ट के तहत दुरस्ती नही की जा सकती सक्षम अधिकारी के समक्ष आवंटन की कार्यवाही होगी। धारा 136 एलआर एक्ट की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है। इसमें बैयनामें के आधार पर खातेदारी की भूमि की दुरस्ती नही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया है। जबकि तमाम राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट का नाम दर्ज है। उक्त आदेश से अपीलांट हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार है और मौके पर काबिज है एवं रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है। मूल देवेन्द्र सिंह के फर्जी हस्ताक्षर कर जवाब दिलाया गया है जो गलत है क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह किश्त राशि क्यो कराता और खातेदारी क्यो लेता। अतः उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 04.05.2011 को निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

3– विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया कि उक्त वादगत भूमि से उसका कोई वास्ता नहीं है और ना ही उसके कब्जे काश्त में रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त वादगत भूमि का आवंटन किया गया था तथा इसी वादगत भूमि का रकबा रेसपोडेन्ट संख्या 2 को आवंटन हो जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 13.05.1987 को डबल आवंटन का प्रकरण मानते हुए आवंटन अधिकारी सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा दिनांक 13.05.1987 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को पूर्व में आवंटित चक 2 आरएम के मुरब्बा नंबर 112/44 की 10 बीघा भूमि का बहाल रखा गया और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अवंटित वादगत भूमि बहाल रखी गई। जबकि उक्त वादगत भूमि का रकबा सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार करने योग्य था। अतः उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ द्वारा पारित आदेश उचित है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4–हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थी प्रकरण में हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार पक्ष होने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 04.05.2011 को उक्त वादगत भूमि का नामांतरकरण दिनांक 06.04.2011 को अपीलांट के नाम दर्ज किया जा चुका था। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.05.2011 पारित करने से पूर्व समस्त राजस्व रिकार्ड के अध्ययन नही किया गया है। जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.05.2011 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर